(ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय कोलियां जो कि अधीन की गई थी, उसमें बहुत छोटी तथा बहुत बड़ी विभिन्न आकार की कार्यरत तथा परित्यागित दोनों स्वरूप की खानें थीं। इन खानों को बड़े एककों में मिलाये जाने तथा पुनर्गठन किए जाने के बावजूद अभी भी कई पुरानी परित्यागित, अलाभकारी खाने तथा पृथक रूप से छुटपुट खानें रह गई हैं। ऐसी खानें तथा छुटपुट स्थल ऐसे होते हैं जिनमें कोयले का गैर-कानूनी रूप में उत्खनन होता है। अत: अवैध रूप में कोयले के उत्खनन की घटनाएं छुटपुट स्वरूप की हैं, अत: इसके मूल्य तथा मात्रा का मूल्यांकन लगाया जाना कठिन है।

(ग) गैर-कानूनी रूप में उत्खनन किए जाने से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(1) (क) और खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त, गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किए जाने वाले क्रियाकलापा राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत और खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत दण्डनीय है। जब कभी भी पट्टेदारी क्षेत्रों में कोलियरीज प्राधिकारियों के नोटिस में गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किये जाने की कोई घटना नोटिस में आती है तो ऐसी स्थिति में सी॰आई॰एस॰एफ द्वारा गश्त बढ़ा दी जाती है। कभी-कभी ऐसे छापे सी॰आई॰एस॰एफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप में मारे जाते हैं। गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किए जाने के बाद गैर-कानूनी रूप से उत्खनन में प्रयोग में लाई गई सामग्री तथा उक्त छापों के दौरान परिवहन किए गए कोयले को पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में कोयला कंपनियों द्वारा इसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है।

(घ) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। 1995-96 में भा॰को॰को॰लि॰, सें॰ को॰ लि॰ तथा ई॰को॰लि॰ द्वारा क्रमश: 20,33 तथा 184 संबंधित पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

Ancilliary SSI Units to meet CIL's requirements

3032. SHRI GOVINDRAO WAMANRAO ADIK: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government are operating a programme of ancilliarisation to promote small scale and cottage industries for meeting the regular requirement of various items of inventory by Coal India and its subsidiaries;

(b) if so, the details of the performance review of the programme undertaken for the past three years, subsidiary-wise as per standard norms of assessment;

(c) the details regarding the main achievements under the scheme-with number of units covered, employment generated, purchases made for these units etc; and

(d) the details of shortcomings that have come to notice and fresh initiatives taken/ proposed for promoting anciliarisation programme and policy of the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

झरिया कोयला क्षेत्र के चौथाई कुली में भूमि का धसना

3033. **श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र के चौथाई कुली में भूमि धसान के कारण सैंकड़ों घरों में दरारें पड़ गई हैं और वहां की आबादी खतरे में पड़ गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्थान की आबादी को वर्षा के मौसम से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया गया तो यहां भारी जान माल की क्षति हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति की भयानकता को ध्यान में रखते हुए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने का विचार है ताकि इस कोयला क्षेत्र में जान माल की संभावित क्षति से बचा जा सके?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी हां। सरकार को 27.10.1996 को बिहार की झरिया कोयला क्षेत्र की चौथाई कुली में हुए घसाव की दुर्घटना के बारे में जानकारी है, जिसके कारण 219 आवासों में दरार आ गई थी।

आगामी वर्षों के दौरान चौथाईकुली में इस तरह की दुर्घटनाओं के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) चौथाईकुली की अधिकांश भूमि जिस पर अनाधिकृत रूप में आवास तथा भवनों का निर्माण किया

गया है। उक्त भूमि भारत कोकिंग कोल लि॰ के अधीन है। इस क्षेत्र में रहने वाले आवासियों को जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए तथा आवासों को खाली किए जाने की सूचना समय-समय पर दी जाती है। अब इस मामले पर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा भी त्वरिता से कार्रवाई की गई है।

Irregularities in allotment of coal mining blocks

3034. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether in allotment and operations of coal mining blocks to Ispat Group, serious irregularities have been committed and complaints received in this regard;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of the action taken in this regard; and

(d) the details of steps taken/proposed to be taken to safeguard the national interest in formulating detailed revised guidelines for mining operations in the wake of privatisation/ liberalisation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) A captive mining block has been identified for allotment to Central India Coal Company in which Ispat Urja Ltd. is required to hold not less than 26% of the equity at all times. The promotors have proposed some changes in the equity structure of the companies which *prima facie* are not in accordance with the provisions rendering them eligible to mine coal. A concern has also been expressed that coal mining operations may pose a hazard for the operations in the Chandrapur Ordnance Factory which is in the vicinity.

(c) The Central Government has not so far conveyed its concurrence for issuance of a mining lease for coal to the Central India Coal Company as required under the MM(R&D) Act and the M.C. Rules.

M/s. Ispat Urja Ltd., M/s. Central India Coal Company Ltd. and M/s. Central India Power Company Ltd., the companies promoted by the Ispat Group in India have been issued show-cause notices on the structure of their companies.

(d) Coal mining is governed by the provisions of the MM(R&D) Act, 1957, Mineral Concession Rules, 1960 Coal Conservation & Development Act, 1974, Coal Conservation & Development Rules 1975 and the Coal Bearing Areas (Acquisition) Act etc. These Acts are equally applicable to the public sector as well as the private sector coal companies and regulate mining operations well with national interests in view. These Acts/ Rules continue to be inoperation even in the wake of the libersalisation in coal sector.

कोयला भंडारों का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण

3035. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में कोयले के छिपे हुए भंडारों का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) कोयले के लिए क्षेत्रीय तथा विस्तृत दोनों तरह का अन्वेषण विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों अर्थात् भारतीय भू-सर्वेक्षण, कोल इंडिया लि॰ तथा खनिज अन्वेषण निगम लि॰ तथा असम, मेघालय तथा नागालैण्ड की राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा किया जाता है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कोयले के भण्डारों का मूल्यांकन किया जा सके।

1.1.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 889.81 मि॰ टन कोयले के भंडारों का मूल्यांकन किया गया है। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मि॰ टन में)

राज्य	कोयले के भण्डार
असम	320.21
मेघालय	459.43
नागालैण्ड	19.94
अरुणाचल प्रदेश	90.23
जोड़	889.81